COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 478) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–12/2020–4367/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[बिहार अधिनियम 10, 2020]

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इक्हतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:–

1. **संक्षिप्त नाम एंव विस्तार** ।–(1) यह अधिनियम बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात 02.10.2016 से प्रभावी समझा जाएगा।

2 **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–73 में संशोधन** ।– उक्त अधिनियम की धारा–73 के खण्ड (ङ) में शब्द ''अवर निरीक्षक'' को ''सहायक अवर निरीक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–78 में संशोधन** ।– उक्त अधिनियम की धारा–78 की उपधारा (2) में शब्द ''अवर निरीक्षक'' को ''सहायक अवर निरीक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **विधि मान्यकरण** ।– किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियमावली, निर्णय, न्याय निर्णय, डिक्री या न्यायालय के आदेश में कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे।

5. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।–

(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–04, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

---

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०–01–12/2020–**4368/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2020 को अनुमत **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[Bihar Act 10, 2020]

The Bihar Prohibition and Excise (Amendment and Validation) Act, 2020

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PROHIBITION AND EXCISE ACT, 2016

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and extent and commencement.*****—**(1) This Act may be called the Bihar Prohibition and Excise(Amendment and Validation) Act, 2020

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall deemed to have come into force from the date of commencement of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 i.e. from 02.10.2016

2. ***Amendment to Section-73 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.*****—**The words "Sub-Inspector" under Clause (e) of Section-73 of said Act shall be substituted by "Assistant Sub-Inspector".

3. ***Amendment to Section-78 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.*****—**The words "Sub-Inspector" under sub section (2) of section-78 of said Act shall be substituted by "Assistant Sub-Inspector".

4. ***Validation.*****—**Notwithstanding anything contained contrary in any other Act, Ordinances, Rules or decision or judgment, decree or order of any Court of Law, the provisions of this Act shall have overriding effect and all acts done according to the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 by Assistant Sub- inspectors of Police shall be deemed to be valid.

5. ***Repeal and Saving.*****—**

(i) Prohibition and Excise (Amendment and Validation) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-04, 2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 478-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in